रजिस्टर्ड नं०-एल०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 3 अप्रैल, 2010 ई० (चैत्र 13, 1932 शक संवत्)

भाग 3

पंचायती शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत।

खण्ड 'घ–जिला पंचायत

12 मार्च, 2010 ई०

सं० स्था०नि०सा०/इक्कीस-21(91-92)/1090–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 संशोधित, 1994 की धारा 239 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, सुल्तानपुर ने उत्तर प्रदेश शासन के गजट में विज्ञप्ति संख्या 825/इक्कीस-21(91-92), दिनांक 14 जुलाई, 1993 द्वारा प्रकाशित जिला पंचायत, सुल्तानपुर की ईंट भट्ठों की उपविधि में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

संशोधन

विज्ञप्ति संख्या 825/इक्कीस-21(91-92), दिनांक 23 मई, 1993 द्वारा उत्तर प्रदेश के गजट दिनांक 14 जुलाई, 1993 में प्रकाशित जिला पंचायत, सुल्तानपुर की ईंट भट्ठों की उपविधि के लाइसेन्स शुल्क की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है–

वर्तमान दर	संशोधित दर
मु० रुपये 2,000.00 प्रतिवर्ष	मु० रुपये 10,000.00 प्रतिवर्ष

राजीव कुमार,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 21, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

19 अगस्त 2020 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2015-16)563--उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, सुलतानपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत एवं शैक्षणिक तथा अन्य निर्माण गतिविधियों आदि के नक्शों, तलपट योजना एवं निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी हैं। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा जनपद सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनायी गयी हैं जिन्हें इस आशय से प्रकाशित किया जा रहा है कि यदि जनपद सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को इन उपविधियों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपना लिखित आपत्ति या सुझाव जिला पंचायत, सुलतानपुर कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

मानक उपविधि (MODEL BYE-LAWS)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 95 एवं 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत सुलतानपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकारण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र या उत्तर आवास विकास परिषद के अधीन क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों निर्माण एवं भू-खण्डों के विकास आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियाँ बनायी है--

भाग-1

प्रस्तावना एवं परिभाषायें

1--अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित)से है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

2–इन उपविधियों के क्रियान्वयन के लिये "ग्राम्य क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद,छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन, योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुये भाग से है जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित हैं।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है *अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।*

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहाँ पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हों।

14–लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने–जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है –

(अ) अभियन्ता–अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

(ब) अवर अभियन्ता– इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

(स) अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग का तात्पर्य जिस लोक निर्माण विभाग के सर्किल में जिला पंचायत स्थित है के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता से है।

(द) अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का तात्पर्य जिला पंचायत के मुख्यालय में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं परिषद् के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता से है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

CamScanner

2–सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली ब्यारो " ब्यारो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड" (B.I.S) विशिष्ट IS12933 के अनुरूप होनी चाहिये तथा जहाँ कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो,तो वहाँ सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।

भाग–15

सीवरेज का निस्तारण

व्याप्ति प्रभाव–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल मूत्र तथा बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत, सुलतानपुर का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नही होगा।

भाग–16

नक्शे स्वीकृति की दरें (कृपया देखें भाग–8)

1–आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

(अ) सूची–1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रूपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी

(ब) सूची–1 (ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढ़के भाग पर रूपये 25.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

2–व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन–

(अ) सूची–(1) (क) के अनुसार विकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रूपये 100.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ब) सूची–1 (ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढ़के भाग पर रूपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

3–(अ) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

(ब) भूमि विकास– भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बारात घर/बैंक्वेट हाल आदि।

(स) भूमि का उपयोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईधन, आर0सी0सी0 पाइप आदि।

(द) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

(अ) उपरोक्त 3 (A) से (D) तक सूची–(1) के अनुसार विकसित जनपदों में रूपये 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी। अन्य जनपदों में यह दर रूपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ब) उपरोक्त 3 (A) से (D) तक सूची–1(क) के अनुसार अविकसित जनपदों में रूपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

4–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनर्निर्माण करने की दशा में अनुज्ञाशुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

5–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

6–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

7–यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

8—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या इन उपविधियों की किसी उपविधि/उपविधियों का उल्लंघन करने पर अर्थ—दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

9—पूर्णता प्रमाण—पत्र (Completion Certificate) जारी करने हेतु (सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर) दरें निम्नवत् लागू होंगी—

(अ) सूची—1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में उक्त दरें रूपये 20.00 प्रति वर्गमीटर होंगी।

(ब) सूची—1(ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में उक्त दरें रूपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

10—चार दीवारी/बाउण्ड्री वाल की स्वीकृति की दरें निम्नवत् होंगी—

(अ) सूची—1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में उक्त दरें रूपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

(ब)सूची—1(ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में उक्त दरें रूपये 5.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

नोटः—(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

भाग—17

मोबाइल टावर्स की स्थापना

1—अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2—शैक्षणिक संस्थान, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन /स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

3—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

4—आवेदन-पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन-पत्र की एक छायाप्रति जिला अधिकारी एवं एक छायाप्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना के रूप में प्रषित करनी होगी।

5—सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किय जाने से पूर्व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है,भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा,भवन निर्माण उपविधियों के अंतर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

6—टावर हेतु अनुज्ञा,भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरर्स को ही प्रदान की जायेगी।

7—जनरेटर केवल Silent प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेगें।

8—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.0 मीटर ऊपर होना चाहिये।

9—जहां अपेक्षित हो ,वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

CamScanner

(घ) यदि कोई व्यक्ति इसके पूर्व की गई व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराता है तो उसे लाउडस्पीकर के सम्बन्ध में नया लाइसेन्स जारी नहीं किया जायेगा।

17--कोई किरायेदार उसी व्यापारी से लाउडस्पीकर किराये पर लेगा जिसके पास वैध लाइसेंस हो।

18--कोई व्यापारी केवल उन्ही व्यक्तियों को लाउडस्पीकर किराये पर उठायेगा जिसके पास नगर क्षेत्र समिति, मैलानी की सीमा के भीतर उसके प्रयोग के लिए अध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी किया गया परमिट हो।

19--लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए इन उपविधियों में निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु किरायेदार अथवा व्यापारी संयुक्त रूप से एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी होंगे।

20--नगर क्षेत्र समिति, मैलानी के अध्यक्ष/सचिव अथवा कोई अधिकारी, जो निरीक्षक/इन्स्पेक्टर की श्रेणी से कम न हो तथा इस सम्बन्ध में समिति के विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत अथवा पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट जिनका क्षेत्राधिकार हो, कोई लाउडस्पीकर जो इन उपनियमों में किसी का उल्लंघन करके प्रयोग किया जा रहा हो, न्यायालय के सम्मुख या समक्ष अभियोग-पत्रे प्रदर्शित करने के लिए अभिगृहीत किया जा सकता है।

दण्ड

ऐक्ट की धारा 299 (1) (यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके टाउन एरिया, मैलानी, जिला खीरी एतद्द्वारा आदेश देती है कि उपर्युक्त नियम अथवा नियम की धारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1,000.00 रु० तक हो सकता है और यदि अपराध निरन्तर जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जावेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से यह प्रमाणित हो जाने पर कि अपराधी द्वारा निरन्तर अपराध जारी रहा है, जो 10 रुपया प्रतिदिन हो सकता है।

राकेश बहादुर,
जिला मजिस्ट्रेट,
खीरी।

खण्ड--घ--पंचायती राज

29 अप्रैल, 1989 ई०

सं० 727/इक्कीस--47(86-87)-4--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद्, सुल्तानपुर में, जनपद सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों एवं दुकानों इत्यादि को नियमित करने हेतु बनाये गये उपनियम जो विज्ञप्ति संख्या 708/इक्कीस-38 (73-74)-3 उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 13 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हो चुका है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है और यह उक्त अधिनियम की धारा -5 (2) के प्रयोग हेतु प्रकाशित किये जाते हैं। यह उपनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझे जायेंगे।

संशोधन

स्तम्भ-1 (वर्तमान उपविधि)	स्तम्भ-2 (संशोधित उपविधि)
1-अ--ये उपविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों एवं दुकानों को नियमित व नियंत्रित करने वाली उपविधियां कहलायेंगी।	1-अ--कोई भी व्यक्ति सुल्तानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि व्यवसायी द्वारा जिला परिषद्, सुल्तानपुर से लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो और पूर्ववर्ती व्यवसाय करने वालों को अपना व्यवसायी इकाई के संदर्भ में भी लाइसेन्स शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।
ब--इसका प्रभाव सुल्तानपुर के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।	ब--इन विधियों के अन्तर्गत दुकान, दुकानों का समूह या बाजार से तात्पर्य उनसे है जहां से लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं।
स--इन उपविधियों के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह तथा बाजारों से तात्पर्य उनसे है जहां लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं।	स--इन उपविधियों के अभिप्राय के लिए किसी दुकान बाजार के सार्वजनिक ग्रामीण बाजार होने के संबंध में परिषद् का निर्णय अन्तिम प्रमाण होगा।
द--इन उपविधियों के अभिप्राय के लिए किसी दुकान-दुकान समूह या बाजार के सार्वजनिक ग्रामीण बाजार होने के संबंध में परिषद् का निर्णय उसके सार्वजनिक होने का अन्तिम प्रमाण होगा।	

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुल्तानपुर

CS CamScanner

स्तम्भ 1

(वर्तमान उपविधि)

2--गजट में प्रकाशित होने की तिथि से यह उपविधियां लागू मानी जायेंगी। इन उपविधियों के लागू होने की तिथि से परिषद् द्वारा अपनायी गयी समस्त उपविधियां जहां तक संभव हो तथा जिनका प्रयोग जनता के स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए इन बाजारों पर किया जाना आवश्यक हो, इन सार्वजनिक बाजारों पर भी यथावत् लागू होंगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दूकानदार या अन्य व्यवसाय वाले से कोई शुल्क या लाइसेन्स फीस इन उपविधियों के अधीन ली जावेगी। ऐसी फीस दूसरी उपविधियों के अधीन नहीं ली जावेगी।

3--सार्वजनिक ग्रामीण बाजारों में दूकान करने वाले व्यापारियों को निम्न वार्षिक लाइसेन्स शुल्क अदा करना होगा। वर्ष से अभिप्राय आर्थिक वर्ष होगा (1 अप्रैल से 31 मार्च तक):

	प्रति वर्ष रु०
(क) कपड़े की दूकान के लिए	15.00
(ख) खाद्य सामग्री की दूकान के लिए जिसमें होटल एवं हलवाई की दूकान सम्मिलित हैं	15.00
(ग) संयुक्त सामान की दूकान के लिए	15.00
(घ) पान, तम्बाकू तथा बीड़ी, सिगरेट आदि की दूकान के लिए	5.00
(ङ) अन्य दूकानों के लिए	10.00
(च) फेरी करने वाले	3.00

स्तम्भ 2

(संशोधित उपविधि)

2--गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी तथा इस विषय पर पूर्व में बनायी उपविधियां स्वतः समाप्त समझी जायेंगी।

3--निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित व्यवसायों (दूकानों) के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष अंकित धनराशि जिला परिषद, सुल्तानपुर स्वयं अथवा परिषदीय एजेन्सी को देकर रसीद लेना अनिवार्य होगा :

क्रम संख्या	व्यवसाय (दूकान) का नाम	लाइसेन्स फीस की धनराशि जो जमा करनी होगी
1	2	3
		प्रतिवर्ष रु०
1	कपड़े की फुटकर दूकान	25.00
2	परचून की दूकान	30.00
3	हलवाई की दूकान	25.00
4	गल्ला किराना की बड़ी दूकान जिसमें गल्ला 10 क्विंटल से अधिक हो	50.00
5	गल्ला किराना की छोटी दूकान जिसमें गल्ला 10 क्विंटल से कम हो	25.00
6	होटल अथवा लस्सी, चाय आदि की दूकान	20.00
7	लोहे की दूकान	50.00
8	बिना आरा मशीन की लकड़ी की दूकान	30.00
9	बर्तन की दूकान	50.00
10	कपड़े की थोक दूकान	100.00
11	सोने-चांदी, आभूषण की दूकान	75.00
12	स्टेशनरी, पुस्तक की दूकान	30.00
13	मेडिकल स्टोर्स व दवा की दूकान	50.00
14	साइकिल व उसके पुर्जे की दूकान	50.00
15	साइकिल मरम्मत की दूकान	15.00
16	बिसातखाना, जनरल स्टोर्स	30.00
17	चाय-पान की दूकान	25.00
18	कृषि संबंधी मशीनरी की दूकान	25.00
19	घी देशी व वनस्पति, सरसों के अन्य तेल की दूकान	50.00
20	फेरी वालों से	10.00
21	मिट्टी के तेल आदि की दूकान	25.00
22	ट्रैक्टर, इंजन आदि के मरम्मत की दूकान	50.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुल्तानपुर

स्तम्भ 1
(वर्तमान उपविधि)

4—सावजनिक ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित व्यवसाय करने वालों को उनके नाम के आगे निर्दिष्ट धनराशि शुल्क के रूप में देय होगी।

(क) दलाल, कमीशन एजेन्ट तदनुकूल व्यवसाय करने वालों से 50 रु० प्रति वर्ष।

(ख) तौलिया, पल्लेदार आदि को 2 रु० प्रति वर्ष।

5—इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क ऐसी विधि से वसूल किया जावेगा जो मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, सुल्तानपुर समय-समय पर निश्चित करे।

6—मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे तो इन उपविधियों के अधीन शुल्क वसूल करने का अधिकार ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दें।

स्तम्भ 2
(संशोधित उपविधि)

1	2	3
		प्रतिवर्ष रु०
23	बीड़ी, पान, तम्बाकू, की दूकान	15.00
24	सोना, चांदी व आभूषण बनाने की दूकान	30.00
25	घड़ी साज एवं घड़ी की दूकान	25.00
26	रेडियो, इलेक्ट्रिशियन एवं लाउडस्पीकर की दूकान	30.00
27	हेयर कटिंग सैलून की दुकान	20.00
28	दर्जी की दूकान	30.00
29	बालू, सीमेन्ट, मोरंग, बल्ली व पटरा की दूकान	20.00
30	वारनिश, पेन्ट्स तथा चूना की दूकान	20.00
31	इमारती लोहे की दूकान	40.00
32	इमारती लकड़ी व फर्नीचर की दूकान	30.00
33	भैंस, खच्चर, घोड़ा आदि, गाड़ी बनाने की दूकान	30.00
34	खोया, दूध की दूकान	25.00
35	आढ़तियां, दलाल, कमीशन एजेन्ट तदनुकूल व्यवसाय करने वाले	50.00
36	यदि अन्य दूकान उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की हो	25.00

4—(अ)—लाइसेन्स लेने वाले लाइसेन्स फीस कार्यालय, जिला परिषद्, सुल्तानपुर में जमा करके लाइसेन्स प्राप्त कर सकते हैं।

(ब) इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क ऐसी विधि से वसूल किया जायेगा जो मुख्य अधिकारी (अपर मुख्य अधिकारी), जिला परिषद्, सुल्तानपुर समय-समय पर निश्चित करें।

5—इन उपविधियों के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, सुल्तानपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर अन्य अधिकारी जिला परिषद् सुल्तानपुर लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

6—प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष होगी जो पहली अप्रैल से आगामी वर्ष 31 मार्च तक मानी जायेगी।

7—खाद्य पदार्थ बनाने वाले दूकानदार, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए ऐसी धातु का बर्तन प्रयोग करेंगे जो खाद्य पदार्थों को विकृत, दूषित न करते हों। उनमें बनाया या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए।

8—लाइसेन्सधारी द्वारा इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, सुल्तानपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी या अन्य अधिकारी,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुल्तानपुर

स्तम्भ 1 (वर्तमान उपविधि)	स्तम्भ 2 (संशोधित उपविधि)
	जिला परिषद्, सुल्तानपुर को उसका लाइसेन्स निलम्बित अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।
	9--इन उपविधियों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लाइसेन्स को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा। 1 मई से 30 जून तक 5 रु० विलम्ब शुल्क के साथ नवीनीकरण होगा तथा 30 जून के पश्चात् निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित नवीनीकरण होगा।
	10--इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमें के दौरान लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में लेकर लाइसेन्स अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क लाइसेन्स शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।
	11--प्रत्येक लाइसेन्सदार को अपनी दूकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा जिस पर दूकान, दूकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा।
	12--अवयस्क व किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं जारी किया जायेगा।

रोशन लाल,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

वर्तमान उपविधि

होगा । 30 अप्रैल तक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा । उसके बाद 15 मई तक 2 रु0 लेटफीस (विलम्ब दण्ड) तथा उसके बाद 30 जून तक 5 रु0 विलम्ब शुल्क देने के बाद ही लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा, 30 जून के बाद लाइसेंस बनवाने पर 10 रु0 विलम्ब शुल्क लेकर ही लाइसेंस बनाया जायेगा :

14—लाइसेंस प्राप्त करने तथा नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा ।

	रु0	प्रतिवर्ष
1—आटा चक्की	30.00	,,
2—दालमिल	35.00	,,
3—आरामशीन	35.00	,,
4—प्रत्येक धान मिल	10.00	,,
5—आइसकैंडी मिल	10.00	,,
6—तेलमिल (कोल्हू)	15.00	,,
7—रुई	5.00	,,
8—अन्य	5.00	,,

16—लाइसेंसिंग अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष, जिला परिषद् सुलतानपुर को आदेश की लिखित सूचना मिलने पर 15 दिन के अन्दर की जायेगी । अध्यक्ष का आदेश अन्तिम तथा मान्य होगा ।

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविधि

प्रत्येक वर्ष कराना होगा । 30 अप्रैल तक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा । 1 मई, से लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर 15 रु0 विलम्ब शुल्क देय होगा । 1 मई तक लाइसेंस न बनवाने अथवा नवीनीकरण; कराने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और समझौता करने पर 15 रु0 समझौता शुल्क भी देय होगा ।

14—लाइसेन्स प्राप्त करने तथा नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा ।

	रु0	
1—आटा चक्की	30.00	प्रतिवर्ष
2—आरामशीन	100.00	,,
3—वेल्डिंग मशीन	50.00	,,
4—हालर धान कूटने की मशीन	50.00	,,
5—आइसकैन्डी	100.00	,,
6—तेल पेरने की मशीन	50.00	,,
7—रुई मशीन	15.00	,,
8—खराद मशीन	50.00	,,
9—अन्य	30.00	,,

16—लाइसेंसिंग अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष जिला परिषद्, सुलतानपुर को आदेश की लिखित सूचना मिलने के 30 दिन के अन्दर की जायेगी । अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा ।

17—इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में नियत प्राधिकारी/आयुक्त यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग परिषद् द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नियत प्राधिकारी/आयुक्त को होगा ।

18—इस उपविधि में लगाये गये करों की वसूली यदि ठेके पर वसूली जाती है तो उस दशा में ठेके का अनुमोदन आयुक्त/नियत प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।

राधेश्याम कौशिक,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

6 फरवरी, 1995 ई0

सं0 612/इक्कीस—7 (1)-73-74—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) अनुसूची-II (क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, मथुरा ने दुकानात आदि की संशोधित लाइसेंस फीस की दरों को निर्धारित करने हेतु पूर्व में आयुक्त, आगरा मण्डल द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या, 798/इक्कीस—7-(3)-73-74, दिनांक 29 नवम्बर, 1977 में संशोधन किया है, जिसे आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत संशोधन की पुष्टि करते हुए प्रकाशित किया जाता है । यह संशोधित उपविधियां प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

CamScanner

उत्तर प्रदेश बजट 8 अप्रैल, 1995 ई0 (चैत्र 18, 1917 शक संवत्)

खंड घ पंचायतीराज

2 जनवरी 1995 ई0

स0 एल0वी0सी0 द्वितीय/ इक्कीस-55 (92-93)-33 उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एव जिला परिषद अधिनियम, 1961 (अधिनियम स0 33 सन् 1961) की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत सुलतानपुर ने अपने नियंत्रणाधीन सुलतानपुर जनपद की बाजारों, पशु बाजारों, प्रदर्शनी, अद्योगित प्रदर्शनी मेला तथ पशु मेलों आदि को नियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनाई हैं जिसकी पुष्टी आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ने कर दी है। उपविधि धारा 242 की उपधारा (2) के परयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि बजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी :

उपविधियां

1. ये उपविधियां जनपद सुलतानपुर की ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, औद्योगित प्रदर्शनी, साधारण बाजार हाटों तथा मेलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने की पविधियां कहलायेगी।
2. कोई भी व्यक्ति पाटरशिप संस्था अथवा समिति आदि जिला परिषद सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पशु मेला पशु बाजार, कृषि या औधोगिक प्रार्दशनी, साधारण मेला तथा साधारण बाजार तथा हाट न तो आयोजिम कर सकता है और न आयोजित करा सकती है। जब तक कि उसने जिला परिषद, सुलतानपुर से इसके लिये लाइसेन्स न प्राप्त कर लेया हो।
3. उपविधियां उन पशु मेलों, पशु बाजारों अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी, साधारण मेला तथा साधाराण बाजार पर भी लागू होंगी, जो इन उपविधियों के लागू होने के पूर्व से आयोजित हो रही हो।
4. ये उपविधियां शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।
5. मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिषद के अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।
6. लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी।
7. प्रत्येक व्यक्ति जो पशु मेला, पशु बजार कृषि या औद्योगित प्रदर्शनी चाहता है उक्त स्थान का मोमी कागज पर बना हुआ एक मानचित्र 1 सेन्टी मीटर बराबर 10 मीटर के पेमाने पर बनायेंगें जिसमें निम्नलिखित सूचनायें होंगी वह अपने हस्ताक्षर से उनकी 3 प्रतियां लाइसेन्स अधिकारी, जिला परिषद को भेजेगा और उसकी 1 प्रति मेला, पशु मेला, पशु बाजार, प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी के स्थल पर रखेगा।

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, सुलतानपुर

[illegible] आकार तथा क्षेत्रफल का विवरण लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

ख) कुआ, प्याऊ, प्रकाश, शौचालय तथा मूत्रालय की सफाई एंव स्वास्थय की दृष्टि से लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा नियत की जायेगी और उसकी व्यवस्था लाइसेन्स लेने वाले को करनी होगी।

ग) दुकानदारो, खरीददारों, तथा व्यक्तियों की सुविधा हेतु माल की समुचित व्यवस्था।

घ) पशु और गाड़ियों के ठहरने का स्थान।

ङ) इमारत दुकान, चबूतरा बाड़ा आदि यदि कोई हो जो बनाया जावे।

8 लाइसेन्स अधिकारी उपयुक्त मानचित्र की सत्यप्रति अपने कार्यालय में रखेंगें और दूसरी प्रति जिला स्वास्थय अधिकारी को भेजेंगें तथ तीसरी प्रति उस व्यक्ति को देंगें जिसे मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी की निगरानी तथा जांच करने का अधिकार होगा।

अ) प्रत्येक मानचित्र के साथ पृथक से निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य होगा।

क) मेला पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी का विवरण।

ख) वार्षिक अनुमानित आय।

ग) समय, दिन, अवधि।

घ) मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी तथा औद्योगिक प्रदर्शनी आने वाले व्यक्तियों दुकानदारों एवं पशुओं की अनुमानित संख्या।

द) जल का प्रबन्ध व स्थल की मुख्य मार्ग से दूरी।

9 उपनियम 7 और 8 में दिये गये विवरण अथवा यदि इसमें परिवर्तन वांछित हो तो उसकी सूचना मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी लगवाने के 1 माह पूर्व लाइसेन्स अधिकारी को देना होगा।

10 लाइसेन्स अधिकारी को उपनियम 7 व 8 में दिये गये विवरण एवं व्यवस्था में एतिहासिक महत्व जनता की सुविधा, स्वास्थय संम्बंधी सलाह पर परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें लाइसेन्स अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

11 प्रत्येक व्यक्ति जो मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी चलाना चाहता है निम्नलिखित लाइसेन्स शुल्क प्रति वर्ष जिला निधि में जमा करेगा।

क) पशु मेला, पशु बाजार जो वर्ष में एक या दो बार आयोजित होता हो।

ख) पशु बाजार, जो मासिक या 1500.00 साप्ताहिक या सप्ताह में दो बार आयोजित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर

CamScanner

ग) कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यय 500.00 मासिक किरत धार्मिक मेले जो वर्ष म एक या दो बार लगते हो।

घ) साधारण हाट या बाजार जो 10000.00 साप्ताहिक या सप्ताह में दो बार आयोजित होती हो।

12 मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी की आय का तात्पर्य सम्बंधित वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से 31 मार्च तक की सम्पूर्ण प्राप्ति से है।

13 मेला, पशु मेला, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने वाले / बनाने वाले व्यक्ति को उसकी आय का समुचित लेखा रखना होगा।

14 अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी अभियन्ता कार्य अधिकारी तथा कर अधिकारी जिला परिषद अधिकारी सुलतानपुर द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी को इन उपनिधियो के अन्तर्गत जांच अधिकार होगा।

15 पशु मेला, एव पशु बाजार आदि के आयोजकों के लिए आवश्यक होगा कि वह एक विक्रय किये हुए पशुओ के पजीकरण के लिए उ0प्र0 पशुलिस रेगलेशन के नियम 183 के अन्तर्गत निदिष्ट पुलिस फार्म 54 का उपयोग करें। उसको प्रतिवर्ष नियमानुसार सुरक्षित रखें। पुलिस फार्म 54 के उपलब्धन होने पर विशेष परस्थिति मे इसकी व्यावस्था परषिद की जायेगी तथा इसका उपयोग लाइसेन्सिंग अधिकारी के निद्रेशो के अनुसार किया जायेगा।

16. बाजार स्थल पर पर पशुओ के पजीकरण के शुल्क का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

17 लाइसेन्स अधिकारी को शांति व्यवस्था अथवा न्याय किसी विवाद को दृष्टिगत रखते हुए किसी किसी पशु मेला पशु बाजार औधोगिक प्रर्दशनी के स्थल के 5 कि0मी0 के भीतर अन्य कोई पशु बाजार लगाने की अनुमति नही होगी।

18. मेलो बाजारो आदि के दिनो में परिवर्तन बिना लाइसेन्स अधिकारी के अनुमति के नही किया जा सकेगा।

19. लाइसेन्स अधिकारी को किसी भी बाजार, पशु बाजार, पशु मेला, अथवा औधोगिक प्रर्दशनी की पशुओ के पजीकरण की दरो में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

20 कोई भी ग्राम सभा या क्षेत्र समिति तब तक कोई पशु बाजार, पशु मेला, कृषि या औधोगिक प्रर्दशनी साधारण मेला कृषि या औधोगिक प्रर्दशनी, साधारण मेला तथा साधारण बाजार आयोजित न कर सकती, तब तक कि इसके द्वारा उपनिधियां बनाकर समक्ष अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाय ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर